प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सन्त कबीर नगर।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सन्त कबीर नगर।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/NP/JE/AES/16/2012–13/ दिनांक:

विषय : प्रदेश के पूर्वांचल के गोरखपुर एवं बस्ती मण्डलों में मच्छर जनित बीमारी जे0ई0/ए0ई0एस0 (जापानी इन्सेफिलाइटिस रोग) के जैविक नियन्त्रण के संबंध में।

महोदय,

मच्छर जनित बीमारी ए0ई0एस0/जे0ई0 (जापानी इन्सेफिलाइटिस रोग) के जैविक नियन्त्रण के संबंध में मत्स्य विभाग द्वारा प्रथम चरण में गोरखपुर एवं बस्ती मण्डलों के सात जिलों हेतु 39.20 लाख की एक कार्य योजना तैयार की गई है। जिसका अनुमोदन भारत सरकार, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, एन0आर0एच0एम0 विभाग के पत्र संख्या 10(30)/2012–एन0आर0एच0एम0–1 दिनांक 01.08.2012 द्वारा प्रदान किया गया है। योजना के उद्देश्य निम्नवत् है–

- मच्छर जनित बीमारियों के जैविक नियंत्रण के प्रति जन–जागरूकता पैदा करना।
- मच्छर लार्वा विकास पर जल एकत्रीकरण क्षेत्र पर 70 से 80 % नियंत्रण करना।
- मच्छर जनित बीमारियों की वृद्धि में नियंत्रण।
- तत्काल नियंत्रण हेतु गम्बूसिया मछलियों की उपलब्धता।

मच्छर जापानी इन्सेफिलाइटिस मलेरिया, डेन्गू आदि बीमारियों के होस्ट के रूप में कार्य करते है। अतः इन बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिऐ मच्छर में प्रजनन के पश्चात् लार्वा पर नियन्त्रण रासायनिक एवं जैविक विधियों से सम्भव है। रासायनिक विधियों से नियन्त्रण करने पर जल में रहने वाले जीव जन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं लागत भी अधिक आती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जैविक विधियों द्वारा कम से कम प्रभावी नियंत्रण संभव है। जैविक विधियों के अन्तर्गत लार्वा भक्षी अनेक मछली प्रजातियां हैं। जिनमें राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत गम्बूसिया एवं रैटीकूलैटस मत्स्य प्रजातियों को संस्तुत किया गया है। यद्यपि ये प्रजातियां भारतीय मत्स्य प्रजातियों के फ्राई एवं उनके प्रतिस्पर्धी हैं एवं स्वः प्रजनन एक वर्ष में अनेक बार प्रजनन के कारण इनकी संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है। अतः मत्स्य पालन संवर्धन तालाबों में इनकी प्रजाति का संचय हानिकारक है। मच्छर मुख्यतः छोटे गड्ढों में एकत्रित जल तथा पुराने व नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में निहित तालाबों के गड्ढों में तीव्रता से प्रजनन कर वृद्धि करते हैं।

2. अहमदाबाद नगर पालिका में विश्व बैंक के सहयोग से 1998 में संचालित योजना की रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत तालाबों में जहॉ 94% का प्रजनन होता था, वह दर 15% पर आ गयी तथा छोटे गड्ढों में 100% मच्छर प्रजनन दर एंव बगीचों के फव्वारों में 85% कमी आ गयी।

3. प्रथम चरण में गोरखपुर मण्डल के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज तथा कुशीनगर जनपदों एवं बस्ती मण्डल के बस्ती, सन्तकबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जनपदों में यह कार्य योजना संचालित की जायेगी। योजना का कियान्वयन एवं संचय विवरण इस प्रकार है –

1) योजना के **प्रथम चरण** में उक्त रोग से अत्याधिक प्रभवित उपर्युक्त जनपदों में सर्वेक्षण कर संचित की जाने वाली मत्स्य प्रजातियों की संख्या का आंकलन किया जायेगा। चूँकि गम्बूसिया मत्स्य प्रजातियॉ वर्तमान में उ0प्र0 में व्यवसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस लिए प्रथम चरण में पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात के व्यवसायियों से गम्बूसिया मछली आयातित की जायेगी। उक्त प्रजाति के मत्स्य बीज की अनुमानित दर रू0 4.00 प्रति मत्स्य बीज है।

---2

2) मत्स्य बीज की दर के अनुसार 1 एकड़ में 2000 मत्स्य बीज संचय की दर से कुल मूल्य रू0 8000 प्रति एकड़ लागत होगी। गोरखपुर एवं बस्ती मण्डलों के 7 जनपदों में 150 एकड़ में प्रथम चरण में 3 लाख मत्स्य बीज की आवश्यकता होगी।
3) प्राथमिक रूप से बसन्त ऋतु से पूर्व 3 से 6 फिट चौंड़े और 100 से 200 फिट लम्बें जल क्षेत्र में 50 मछलियां तथा एक एकड़ जल क्षेत्र में 2000 मछलियाँ संचय की जाती हैं।
4) तत्काल लार्वा पर नियन्त्रण के लिए 2500 मछलियां प्रति एकड़ की दर से संचय की जानी चाहिए।
5) गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के जनपदों के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में स्थित तालाबों, गड्ढों व सीवर जनित एकत्रित जल में गम्बूसिया मत्स्य बीज संचय करने का प्रविधान है। **द्वितीय चरण** में ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एफ0आर0पी0/सीमन्ट टैंक निर्मित कर गम्बूसिया का सीड बैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ताकि तत्काल संक्रमित इलाकों में संचय कर मच्छर नियन्त्रण किया जा सके।
6) यह मछली स्वतः प्रजनन करती है तथा वर्ष में 6 से 8 बार प्रजनन कर लाइव बियरर को जन्म देती है। अतः प्रजनन प्रबन्धन आसान है जो सीड बैंक स्थापना की सफलता का मुख्य कारण है।
7) जैविक नियन्त्रण द्वारा मच्छर जनित बीमारियों के नियन्त्रण के उद्देश्य से मलेरिया विभाग के माध्यम से प्रचार किया जायेगा। जिससे जन साधरण अपने निवास के आस-पास एकत्र जल में स्वास्थ्य विभाग से निःशुल्क उक्त जाति की मछली के संचय के प्रति जागरूक हो सकें।

4. उक्त कार्य के संचालन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जायेगी :-

1) मुख्य विकास अधिकारी-उपाध्यक्ष
2) मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य सचिव
3) अपर जिलाधिकारी प्रशासन-सदस्य
4) जिला मलेरिया अधिकारी-सदस्य
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सहायक निदेशक मत्स्य-सदस्य

5. उक्त समिति गम्बूसिया का मत्स्य बीज क्रय/आयातित कर चिन्हित तालाबों एवं गड्ढों तथा सीवर जनित एकत्र जल में मच्छर प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों में उक्त बीज संचय कराकर निरन्तर अनुश्रवण करेगी। योजना के निम्नवत् अनुमानित प्रारम्भिक आंगणन के अनुरूप जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि अवमुक्त की जा रही है-

क्र0 सं0	जनपदों के नाम (ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र /सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या सहित)	मद	मात्रा	दर रू0 में	धनराशि रू0 में
1	गोरखपुर (19)	गम्बूसिया मछली की लागत	57,000	4.00	2,28,000.00
		सीमेन्ट टैंक	19	15,000.00	2,85000.00
		ब्रूड स्टाक गम्बूसिया (50 प्रति टैंक)	950	4.00	3,800.00
		प्लास्टिक बकेट/जाल/पालीथिन/गैस सिलेन्डर जल प्रबन्धन	19 इकाईया	5,000.00	95000.00
		जन जागरण अभियान (प्रचार-प्रसार)	1 इकाई	1,00000.00	1,00000.00
		योग			7,11,800.00
2	देवरिया (15)	गम्बूसिया मछली की लागत	45,000	4.00	1,80,000.00
		सीमेन्ट टैंक	15	15,000.00	2,25,000.00
		ब्रूड स्टाक गम्बूसिया (50 प्रति टैंक)	750	4.00	3000.00
		प्लास्टिक बकेट/जाल/पालीथिन/गैस सिलेन्डर जल प्रबन्धन	15 इकाईयां	5,000.00	75,000.00
		जन जागरण अभियान (प्रचार-प्रसार)	1 इकाई	1,00000.00	1,00000.00
		योग			5,83000.00

---3

3	कुशीनगर (14)	गम्बूसिया मछली की लागत	42,000	4.00	1,68,000.00
		सीमेन्ट टैंक	14	15,000.00	2,10,000.00
		ब्रूड स्टाक गम्बूसिया (50 प्रति टैंक)	700	4.00	2,800.00
		प्लास्टिक बकेट/जाल/पालीथिन/गैस सिलेन्डर जल प्रबन्धन	14 इकाईयां	5,000.00	70,000.00
		जन जागरण अभियान (प्रचार–प्रसार)	1 इकाई	1,00000.00	1,00000.00
		योग			**5,50800.00**
4	महाराजगंज (12)	गम्बूसिया मछली की लागत	36,000	4.00	1,44,,000.00
		सीमेन्ट टैंक	12	15,000.00	1,80,000.00
		ब्रूड स्टाक गम्बूसिया (50 प्रति टैंक)	600	4.00	2,400.00
		प्लास्टिक बकेट/जाल/पालीथिन/गैस सिलेन्डर जल प्रबन्धन	12 इकाईयां	5,000.00	60,000.00
		जन जागरण अभियान (प्रचार–प्रसार)	1 इकाई	1,00000.00	1,00000.00
		योग			**4,86,400.00**
5	बस्ती (14)	गम्बूसिया मछली की लागत	42,000	4.00	1,68,000.00
		सीमेन्ट टैंक	14	15,000.00	2,10,000.00
		ब्रूड स्टाक गम्बूसिया (50 प्रति टैंक)	700	4.00	2,800.00
		प्लास्टिक बकेट/जाल/पालीथिन/गैस सिलेन्डर जल प्रबन्धन	14 इकाईयां	5,000.00	70,000.00
		जन जागरण अभियान (प्रचार–प्रसार)	1 इकाई	1,00000.00	1,00000.00
		योग			**5,50,800.00**
6	सिद्धार्थ नगर (14)	गम्बूसिया मछली की लागत	42,000	4.00	1,68,000.00
		सीमेन्ट टैंक	14	15,000.00	2,10,000.00
		ब्रूड स्टाक गम्बूसिया (50 प्रति टैंक)	700	4.00	2,800.00
		प्लास्टिक बकेट/जाल/पालीथिन/गैस सिलेन्डर जल प्रबन्धन	14 इकाईयां	5,000.00	70,000.00
		जन जागरण अभियान (प्रचार–प्रसार)	1 इकाई	1,00000.00	1,00000.00
		योग			**5,50,800.00**
7	सन्तकबीर नगर (9)	गम्बूसिया मछली की लागत	27,000	4.00	1,08,000.00
		सीमेन्ट टैंक	9	15,000.00	1,35,000.00
		ब्रूड स्टाक गम्बूसिया (50 प्रति टैंक)	450	4.00	1800.00
		प्लास्टिक बकेट/जाल/पालीथिन/गैस सिलेन्डर जल प्रबन्धन	9 इकाईयां	5,000.00	45,000.00
		जन जागरण अभियान (प्रचार–प्रसार)	1 इकाई	1,00000.00	1,00000.00
		योग			**3,89,800.00**
		कुल योग			**38,23,400.00**

6. विस्तृत आंगणन जनपद स्तर पर सर्वे कर तैयार किया जायेगा। मत्स्य बीज की उपलब्धता, तकनीकी मार्गदर्शन हेतु जनपदीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सहायक निदेशक द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

7. योजना कियान्वयन हेतु निम्न आवश्कतायें होंगी–

- मत्स्य बीज संख्या का आंकलन।
- मत्स्य आपूर्ति का प्रबन्धन।

8. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन कराकर गठित समिति के मार्ग दशर्न में किया जायेगा।

9. योजना के प्रथम चरण का कार्य एक माह में एंव द्वितीय चरण का कार्य दो माह में पूर्ण करा लिया जाये।

10. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा योजना रिपोर्ट तैयार कर गठित समिति द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।

11. गम्बूसिया मछली के संचयन हेतु स्थानों का चिन्हीकरण एवं मत्स्य बीज का संचयन जिला मलेरिया अधिकारी का दायित्व होगा। मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारी द्वारा गम्बूसिया मछली के मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर तकनीकी परामर्श एवं चिन्हित स्थानों में गम्बूसिया मछली का संचयन कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

12. उपलब्ध धनराशि से परियोजना का ससमय कियान्वयन, व्यय विवरण तथा अभिलेखों का रख–रखाव कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर किया जायेगा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार सम्प्रेक्षण की कार्यवाही भी पूर्ण करायी जायेगी।

13. पारदर्शिता के दृष्टिगत् समस्त कार्यों का सत्यापन जिला स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा एक समिति गठित कर, कराया जायेगा।

भवदीय,

30/08/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/JE/AES/16/2012–13/ 1260-2-7 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, गोरखपुर एंव बस्ती मण्डल, उ0प्र0।
5. अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी मलेरिया जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर एंव बस्ती मण्डल, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद गोरखपुर एंव बस्ती मण्डल, उ0प्र0।
8. महाप्रबंधक (MIS) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे NRHM web-site पर अपलोड करने का कष्ट करें।

30/08/12

(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम